

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-83/2020-21

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

सत्य वाला देवी बनाम विशनाथ महतो वगैरह

19.12.20

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

सत्य वाला देवी पति-श्री रामनाथ महतो, ग्राम-बुण्डू नवाडीह टोली, पो०-बुण्डू, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहीणी।

क्रेता का नाम एवं पता -

1.विशनाथ महतो पिता-सोमा महतो, 2.मदन महतो पिता-श्री लखीदास महतो, 3.राजोवाला देवी पति-नरेश चन्द्र महतो, 4.परेश महतो पिता-सोमा महतो, सभी ग्राम-मधुकामा, पो०-हुमट्टा, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री राम चरण महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-15/10/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता 1.विशनाथ महतो पिता-सोमा महतो, 2.मदन महतो पिता-श्री लखीदास महतो, 3.राजोवाला देवी पति-नरेश चन्द्र महतो, 4.परेश महतो पिता-सोमा महतो, सभी ग्राम-मधुकामा, पो०-हुमट्टा, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैं:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
लोटेहातु	बुण्डू/60	12	720	0.27 ए०
			722	0.11 ए०
				चौहद्दी:-
				उ०-श्रीकान्त अहीर।
				द०-पंचानन अहीर।
				पू०-नीज एवं कर्मा मुण्डू।
				प०-रास्ता।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक-711 दिनांक-09/12/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत चौधरी महतो वल्द हराधन महतो कौम अहीर के नाम से दर्ज है।
- (2) पंजी-II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता-पुत्री का है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम रत्नाकर महतो वल्द हराधन महतो है। तथा रैयत के पास लगभग रकबा-03 एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2015-16 तक वसूली गयी है।
- (5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के एक मात्र पुत्री है। तथा खरीदगी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टाड़ किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-2.62 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को अपनी बिमारी का इलाज हेतु बिक्री कर रही है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता सत्य वाला देवी पति-श्री रामनाथ महतो, ग्राम-बुण्डू नवाडीह टोली, पो०-बुण्डू, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहीणी, को क्रेता 1.विशनाथ महतो पिता-सोमा महतो, 2.मदन महतो पिता-श्री लखीदास महतो, 3.राजोवाला देवी पति-नरेश चन्द्र महतो, 4.परेश महतो पिता-सोमा महतो, सभी ग्राम-मधुकामा, पो०-हुमट्टा, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-15/10/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता सत्य वाला देवी पति-श्री रामनाथ महतो, ग्राम-बुण्डू नवाडीह टोली, पो०-बुण्डू, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहीणी, को क्रेता 1.विशनाथ महतो पिता-सोमा महतो, 2.मदन महतो पिता-श्री लखीदास महतो, 3.राजोवाला देवी पति-नरेश चन्द्र महतो, 4.परेश महतो पिता-सोमा महतो, सभी ग्राम-मधुकामा, पो०-हुमट्टा, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर

काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
लोटेहातु	बुण्डू/60	12	720	0.27 ए०
			722	0.11 ए०
				<u>चौहद्दी:-</u> उ०-श्रीकान्त अहीर। द०-पंचानन अहीर। पू०-नीज एवं कर्मा मुण्डू। प०-रास्ता।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।